MR CHAIRMAN That is why I asked him, for how long he was going to speak, if he could finish in one or two minutes

SHRI SAUGATA ROY I want to speak for a few minutes more.

PROF P G MAVALANKAR He cannot be prevented from speaking on the preventive detention

MR CHAIRMAN: He may continue tomorrow

---

19 02 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

SUGARCANE IN FIELDS

MR CHAIRMAN We now take up the Half-An-Hour Discussion Shri Ram Dhari Shastri

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना) सभापति महोदय, मैंने 17 जुलाई, 1978 को एक प्रश्न पूछा था, जिस का एक भाग यह है

> "(ख) क्या लगभग 20 लाख टन गन्ना सूख रहा है, क्योंकि इस की फसल अभी तक खेतों में पड़ी है, और
>
> (ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है इसके लिए किसानों को मुआवजा देने का है और यदि हां, तो कितना ?"

इस प्रश्न का उत्तर सरकार की ओर से यह दिया गया

> "(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है और इस लिए बिना कटी गन्ने की फसल की कुल मात्रा के बारे में ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों से जब सभी फैक्टरियां पिराई का कार्य बन्द कर देंगी, तब अन्तिम स्थिति बताने के लिए कहा जा रहा है। इन राज्यों में समस्या अपेक्षाकृत गम्भीर बताई जाती है।
>
> "(ग) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की ऐसी कोई योजना नहीं है कि जिन गन्ना उत्पादकों का गन्ना बिना बिके रह जाता है, उन्हें उसका मुआवजा दिया जाये।"

मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई सब से बदकिस्मत है, तो वे गांवों में बसने वाले 80 प्रतिशत किसान हैं, और उन का एक हिस्सा है गन्ना किसान। इस देश में 288 छोटी बड़ी चीनी मिलें हैं और सात हजार से ज्यादा खण्डसारी की इकाइयां हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की यह मुख्य नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश में 6½ प्रतिशत भूमि में गन्ने की खेती होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत भूमि में गन्ने की खेती होती है और एक जिले, मुजफ्फरनगर, से 50 प्रतिशत जमीन में गन्ने की खेती होती है। यह रिकार्ड है।

इस साल की स्थिति यह है कि केवल उत्तरप्रदेश में 50 लाख टन गन्ना खेतों में खड़ा है जब उत्तर प्रदेश के केन कमिश्नर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक कुछ मिल चलती रहेंगी और उसके बाद भी 20 लाख टन गन्ना खेतों में बच जायेगा। उत्तर प्रदेश का 50 लाख टन गन्ना वहां के भाव के हिसाब से 64 करोड़ रुपये का गन्ना है जो खेतों में खड़ा रहे, और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह गन्ना खड़ा है। कर्नाटक के हमारे मित्रों ने बताया है कि वहां भी गन्ना खड़ा है। इस प्रकार कुल मिला कर एक अरब रुपए से ज्यादा का गन्ना खेतों में खड़ा है।

सरकार ने कपड़े चीनी या जूट के सभी कारखानों को बराबर प्रोटेक्शन दिया है। उनकी आवाज को यह सुनती है। मगर जब गन्ने पर आश्रित करोड़ों किसान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, तो उन को मुआवजा देने के बारे में सरकार का जवाब है कि ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर जनता सरकार किसानों की सरकार है, तो उसे यह सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी तादाद में जिन किसानों को नुकसान हो रहा है, उन के बारे में क्या किया जाए।

यह क्यों हुआ ? इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो भारत सरकार जिम्मेदार है। आज खेतों में जो गन्ना खड़ा है उस का कारण यह है कि सरकार को पहले से जानकारी थी कि इस साल गन्ना पिछले साल की अपेक्षा 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत ज्यादा है। उसका चाहिए यह था कि—जो पहली सरकारों ने भी किया है वह मिल-मालिकों को क्रशिंग ड्यूटी में 17½ परसेंट छूट देने की घोषणा अक्तूबर से करती, मगर उसने नवम्बर में की। नवम्बर में घोषणा की तो मिलें दिसम्बर में चलीं। एक महीना सवा महीना बाद में चली और अगर लाबी इन के ऊपर इतनी हावी है, ये बड़े बड़े मिल मालिकों के प्रभाव में इस तरह हैं कि उन के दबाव में आ कर इन्होंने चीनी मिलों को तो छूट दे दी लेकिन साढ़े सात हजार जो खांडसारी की इकाइयां हैं देश में जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जो चीनी पैदा करती हैं उन को इन्होंने कोई छूट नहीं दी। यह कहा कि यह ठीक चल रही होंगी। जब बहुत प्रेशर पड़ा, गन्ना सड़ने लगा,

गुड़ का कोई पुरसाहाल नही रहा, सारी इकाइयां बन्द होने लगी, अकेले उत्तर प्रदेश में ढाई हजार इकाइया बन्द हो गई, तब फरवरी के महीने में इन्होने छट की घोषणा की। दो महीना पीछे किया मिलो की अपेक्षा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 38 प्रतिशत गन्ना केवल मिलो में जाता है, 62 प्रतिशत खांडसारी इकाइयो में जाता है। नतीजा यह हुआ कि गन्ना बिका पाच रुपए, 6 रुपए क्विंटल और अब तीन रुपए क्विंटल भी कोई पूछने वाला नही है। गन्ना खेतो में खड़ा है।

दूसरी गलती इन्होंने क्या की ? सरकार ने सब से पहले घोषणा की कि हम गुड का निर्यात करेंगे । मगर यह घोषणा ज्यो ही अखबारो मे आई उसके तीसरे दिन बन्द कर दिया गया। हम बताया गया कि प्रधान मत्री जी नही चाहते क्योंकि इस से देश से गुड महगा बिकेगा और गुड़ खाने वालो का सस्ता गुड़ देने के लिए इसे रोक दिया गया । इस का नतीजा यह हुआ कि जो देश गुड़ हम से खरीदते थे उन्होंने दूसरी जगह से अपनी जरूरतें पूरी की और हमारा गुड़ सड़ रहा है गोदामो में, उसका कोई पुरसाहाल नही है। हमारे यहा से बाजार भी चला गया और किसान तबाह हो रहा है। यह स्थिति सरकार ने पैदा की है। इसलिए मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हू कि इस की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने यह बीमारी पैदा की है । आज खेत मे गन्ना खडा है और केवल गन्ना खडा नही है बल्कि जो गन्ना बिक गया उस का सौ करोड़ रुपया बकाया है। यह 4 जुलाई, 1978 की एकोनामिक टाइम्स की खबर है और हमे जानकारी भी है कि सारे देश में सौ करोड से अधिक रुपया आज भी मिलो के जिम्मे बकाया है। किसान की कुर्की हो रही है सरकारी बकाये मे मगर यह रुपया दिलाने की कोई व्यवस्था सरकार नही कर रही है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, सरकार सारे गन्ने का तखमीना कराए और जितना गन्ना हो, किसानो को सरकारी रेट से उस का मुआवजा दे, तब जाकर यह गन्ना उद्योग और चीनी उद्योग चल सकेगा वरना आगे चल कर किसान गन्ना बोयेगा नही ।

एक बात और है। मै समझता था कि अब एक साल के बाद इन को समझ आई होगी । मगर सब से खराब दिन यह है, ब्लैक डे आज का है जो इन्होने आज यह घोषणा कर दी कि अब चीनी की कर दी गई, अब चीनी पर कोई नियत्रण पहली अक्तूबर से नही होगा। यह घोषणा आज अखबारों मे आ गई । मैं तो यह कहूगा कि यह इतना सीरियस मामला है कि इस से सारे देश के काफी लोग प्रभावित होगे । हो सकता है कि पूरब की बहुत सी मिलें बन्द हो जायं। उत्तरी भारत की जो छोटी छोटी मिलें हैं वह बन्द हो जायगी। माननीय मत्री जी गन्ने के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, मैं उन से कहना चाहता हूं कि 12 सौ टन से कम की जो क्रैक्ट्रीज हैं कैसे वह उनको चलावेंगे। वह बरबाद हो जायंगी । दक्षिण की जो मिलें हैं उन की रिकवरी साढ़े ग्यारह और बारह परसेंट है जब कि पूरब की जो पुरानी मिलें है बिहार और उत्तर प्रदेश की जिन की संख्या आधे के करीब है उन की रिकवरी नौ प्रतिशत या साढ़े नौ प्रतिशत है। उनका जब खुला मुकाबिला होगा तो वह मिलें बन्द हो जायगी और नतीजा यह होगा कि किसान उस से पिटेगा । आज ही यह स्थिति है ।

आज चीनी को इन्होने डी-कंट्रोल किया। जब हम लोग कहते थे कि शुरू म ,मलो के चलने के पहले और गन्ने की पेराई के पहले कि डी-कंट्रोल कर दीजिए और इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि चीनी तीन रुपए किलो के हिसाब से बिके, न राशन पर रहे न कुछ रहे और उस के रिलीज का सिस्टम अपने हाथ में रखिए तब नही किया और अब इन्होने रिलीज का सिस्टम भी अपने हाथ मे नही रखा, फ्री कर दिया बड़े बड़े मिल मालिको के दबाव मे आ कर जिस का नतीजा यह होगा कि सारी चीनी बाजार से आएगी। हमारे देवरिया जिले में 2 रुपए पचास पैसे किलो चीनी तो योंही बिकती थी, अब वह चीनी दो रुपए से कम मे बिकेगी । बड़ी बड़ी मिलें जो देश मे इनी गिनी तीस पैंतीस हैं वह तो खुशहाल हो जाएगी । मगर बाकी सारी मिलें बरबाद होगी । जिसका नतीजा होगा जो सौ करोड़ रुपया किसानो का बाकी है वह मिलेगा नही। मिलें बरबाद हो नीलाम हो उस का कोई पुरसा-हाल नही है ।

तो शुगर लाबी के दबाव से जो सरकार यह कर रही है मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हू । यह कोई साधारण बात नही है जिस को आप न कर दिया बिना सोचे समझे । अवसर नही दिया आप ने किसी को। जिस तरह से पुरानी सरकार करती रही है कुछ थोड़े से अफसरो की मदद से जो चाहती थी दाम तय कर देती थी उसी तरह से आप ने किया बैठे बैठाए सब से जुर्रत तो यह किया कि बफर स्टाक नही रखेंगे । चीनी इस साल सब से ज्यादा पैदा हुई है। पिछले साल 16 लाख टन चीनी बची हुई थी जब मिलें चली । इस साल सरकारी तखमीने के मुताबिक मिलो के चलने के पहले करीब 33 लाख टन चीनी रहेगी । तब क्या होगा भण्डार का ? इसका भण्डार वे नहीं रखेंगी क्योंकि तब चीनी का बाजार की है वह ठीक रहेगा और वे उसका रेग्युलराईजेशन कर सकेंगी लेकिन आपने पूंजीपतियों को छूट दे दी कि जितना बड़ा मिल मालिक है वह लूटे और जाए और किसानो के नाम पर चलने वाली जनता सरकार, जनता सरकार के मत्री मौज करें ।

[श्री राजधारी शास्त्री]

मैं आपके माध्यम से दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि यह देश रहे, इस देश की जनता रहे, किसानों के नाम पर वोट लेने वाले रहें और उनकी सरकार रहे तो सबसे पहला काम आप यह करें कि सारे देश में इस बात का तखमीना लगायें, सेन्ट्रल टीम भेज करके, कि कितना गन्ना बाकी है और उसका मुआवजा दे। कोई कानून पहले से ही क्यों नहीं बनाया जाता, आज मुआविजा देने का कानून क्यों नहीं है इतनी बड़ी कौम आप के लिए? आप इसका जवाब दें।

दूसरी बात यह है कि पिछले साल तो आपने किसानों का अरबों रुपया नष्ट कर दिया लेकिन इस साल आप मेहरबानी करके ऐसी व्यवस्था करें कि मिलें नवम्बर के प्रारम्भ में अवश्य चल जायें। जो भी छूट की घोषणा आपको करनी हो वह अक्तूबर के अन्त तक कर दीजिए लेकिन नवम्बर में निश्चित रूप से मिलें चालू हो जायें। तभी जा कर किसानों का कल्याण हो सकता है।

चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में मैं फिर कहना चाहता हूं कि पिछले साल आपने गल्ती की, गुड़ के निर्यात को रोक कर आपने पाप किया, किसानों के साथ विश्वासघात किया, मेहरबानी करके उसका आप भूल जाइये लेकिन अगले साल के लिए सावधान रहें। चीनी और गुड़ के निर्यात के लिए आप पहले से व्यवस्था करें, पहले से ही उन देशों से आप सम्बन्ध स्थापित करें।

गन्ने के भाव के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं। किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा शायद कोई दुश्मन सरकार भी नहीं कर सकती थी। आपने कह दिया कि 10 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव होगा। इस साल भी 13 रुपये 50 पैसे गन्ने का दाम उत्तर प्रदेश में मिल रहा था, 12 रु० 50 पैसे बिहार में मिल रहा था और 15 रु० का भाव पंजाब के कुछ हिस्सों में मिल रहा था लेकिन आपने बिना किसी पार्लमेंट के मेम्बर से पूछे, बिना किसी की राय लिए हुए दस रुपए पर किसानों को मिल मालिकों के हाथ बेच दिया। यह कितना खतरनाक काम हुआ है। आप इस घोषणा के पहले सरकार के बजूद के बारे में सोचिए कि अगर यही हाल रहा तो क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन तमाम बातों को आप ठीक से नोट करें और उसके मुताबिक अपनी पालिसी बनायें।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): माननीय सदस्य ने कुछ बातें तो जो वर्ष बीत रहा है उसके विषय में कहीं और कुछ बातें, जो आने वाला वर्ष है उसमें चीनी नीति के बारे में कहीं। जहां तक आने वाले वर्ष का प्रश्न है, सरकार की तरफ से इस सदन में शायद कल घोषणा होगी और उसके पूर्व मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं है। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि समाचार-पत्रों में जो प्रकाशित हुआ है, तीन चार समाचार-पत्रों में, उसको आप देखें तो उसमें कण्ट्राडिक्शन पायेंगे। इसलिए सरकार की घोषणा के पहले आप कोई टीका टिप्पणी न करें। पहले सरकार की घोषणा हो जाने दें उसके बाद उस पर हम विचार कर लेंगे।

जहां तक पिछले वर्ष की बात है, माननीय सदस्य ने दो-तीन आरोप लगाए हैं। एक आरोप तो यह है कि जो स्थिति पैदा हुई उसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। दूसरा आरोप यह है कि गन्ना बहुत ज्यादा खेतों में खड़ा है और उसका मुआवजा सरकार की ओर से मिलना चाहिए। जहां तक जिम्मेदारी का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि जो गन्ना अभी पेरा गया है वह जनवरी, फरवरी, 1977 में बोया गया था यानी इस सरकार के आने के पूर्व। तब तक फसल बोई जा चुकी थी और वह इतनी ज्यादा बोई जा चुकी थी कि मुख्य कठिनाई जो है वह ओवर-प्रोडक्शन की है। केवल दो वर्षों के अन्दर करीब 23 फीसदी गन्ने की पैदावार बढ़ी है। अब इतने गन्ने की पैदावार के बावजूद हमने उस की ज्यादा से ज्यादा खपत करने की कोशिश की है।

मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि गन्ने की खपत दो ढंग से होती है। एक तो बड़ी बड़ी फैक्टरियों में पिराई होती है और कुछ अंश खांडसारी में जाता है लेकिन बड़े अंश का गुड़ बनता है। जहां तक बड़े कारखानों का सवाल है, हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 20 लाख टन ज्यादा गन्ने की पिराई करवाई है जब कि पैदावार केवल 18 लाख टन ज्यादा हुई है। जितनी अधिक वृद्धि हुई थी, उस का फैक्टरियों के द्वारा समाप्त करने की कोशिश की और उस में सफलता भी मिली। मैं कुछ आंकड़े भी पढ़ना चाहता हूं। जहां तक बड़े कारखानों की जिम्मेदारी का सवाल है, वहां जो केन यूनियनें हैं, उन्होंने 202 लाख टन गन्ना आफर किया मिलों को और उस के मुकाबले में 204 5 लाख टन गन्ना पेरा गया। बिहार में सिर्फ 12 7 लाख टन गन्ना आफर किया गया था और उस के मुकाबले में 31 18 लाख टन पेरा गया, हरियाणा में 18 लाख टन आफर किया गया था और पौने अठारह लाख टन पेरा गया, पंजाब में जितना आफर किया गया. 10 2 लाख टन उतना ही पेरा गया। इस प्रकार से पूरी लिस्ट में अगर जाएं, तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो सौदा हुआ था गन्ना सप्लायर्स और कारखानों के बीच, उस से कुछ ज्यादा ही गन्ना कारखानों ने पेरा है।

मैं यह भी इस बात से सिद्ध करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में कितने प्रतिशत गन्ना बड़े मिलों को जाता है, वह आप देखें। उस के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

सन्	फीसदी
1973-74	39
1974-75	33.6
1975-76	29.8
1976-77	31.7 और
1977-78	39

मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रयास हुआ है लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी अगर खाडसारी और गुड बनाने वालों ने पिराई नही की, तो उस की कोई जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर नही है। हम केवल आर्गेनाइज्ड सेक्टर की जिम्मेवारी ले सकते है। हम ऐसे पदार्थों की भी जिम्मेवारी ले सकते है जो नष्ट न होने वाले हो। आज आप हम से गुड और खाडसारी के बारे में कहते हैं, अगर आज चावल हुआ होता या गेहू, ज्वार हुआ होता या कोई ऐसी चीज होती जिस को सुरक्षित रखा जा सकता है, तो सरकार अवश्य किसानो के लिए आगे बढ़ कर कुछ नुकसान उठा कर भी खरीदती लेकिन गुड को रखा नही जा सकता है और गुड बनाने वालो ने जब कीमत बहुत गिर गई तो उस को बनाया और अब यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार ने उस को एक्सपोर्ट नही करने दिया। श्रीमन्, मैं बताना चाहता हू कि पिछले 10 वर्षों के आकडे आप देखें तो पता चलेगा कि किसी एक वर्ष में भी 10,000 टन से ज्यादा गुड का निर्यात भारत से नही हुआ। 90 लाख टन इस देश में बनता है, तो उसके मुकाबले मे अगर 10,000 टन चला जाए, या न जाए तो कोई फर्क पडने वाला नही है। अब जहा तक मूल्यो का सम्बन्ध है, गुड का निर्यात बिल्कुल असम्भव है क्योंकि दुनिया के बाजारो में आज चीनी 1-30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। अगर गुड वहा विदेशो मे जाएगा, तो 1 30 रुपए प्रति किलो से कम नही होगा। जब उसी भाव पर गुड और चीनी दोनो बिकेंगे तो आप स्वय सोच सकते हैं कि लोग चीनी खायेंगे या गुड खायेंगे। इस प्रकार यह आरोप लगाना कि भारत सरकार ने किसी प्रकार की इस मे बाधा डाली हैं, यह बिल्कुल निराधार है।

बाहर भेज देने से गुड की खपत बढ जाती है, यह बात नही है। इस मे भी कोई फर्क नही पडा। बाद मे हमने खोल दिया था और हर प्रकार से खोल दिया था—यानी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन भी ले जा कर बेच सकता था, और कोई एजेंसी भी ले जाकर बेच सकती थी लेकिन उस से भी कोई फर्क नही पडा। एक टन फरवरी से मई-जून तक बाहर नही गया। थोडा बहुत गुड नेपाल तो चला गया। लेकिन और कही नही गया। कौन खरीदता? आप यदि विदेशियो के स्थान पर होते तो क्या आप भी इसे खरीदते जब कि उसी भाव पर चीनी मिल रही है और उसी भाव पर गुड बिक रहा है? इसलिए मिथ्या प्रचार के कारण यह स्थिति पैदा हुई। यह बात हम सब लोगो को सोचनी चाहिए।

श्रीमन् मुआवजे की बात कही गयी। मैं पूछना चाहता हू कि कभी किसी ने गन्ने का मुआवजा दिया है? क्या यह देना उचित होगा? (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री: किसी सरकार में फरवरी मे छूट की घोषणा की, हमने अक्टूबर में इसकी घोषणा की।

श्री हुकम देव नारायण यादव: (मधुबनी)· सारे उत्तर प्रदेश में पहले कोई इस तरह जीता था, क्या बिहार में कोई 54 की 54 सीटों पर इस तरह से जीता था?

श्री रामनरेश कुशवाहा: (सलेमपुर) अगर वही करना है जो अब तक हुआ तो फिर वही लोग आते, आपको लाने की क्या जरूरत थी?

SHRI S. NANJESHA GOWDA (Hasan): Is it a sin to grow more in this country? The growers are being made to suffer because they grow more.

सभापति महोदय: मेरी समझ में नही आता कि आप चाहते क्या हैं? आप अपना भाषण देना चाहते है कि या जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर सुनना चाहते हैं? आप बैठिए, सब को समय मिलेगा। आप शांति रखिए। आप उत्तर सुनेंगे या अपना भाषण देंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह: श्रीमन् मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हू कि क्या ऐसे पदार्थ को उपजाने के लिए किसानो को प्रोत्साहित करना उचित होगा जिसकी मांग न आज देश में हो और न विदेश के हो? उसको कौन खरीदेगा?

श्री उग्रसेन: यह भी बी० पी० सिंह की थीसिस है।

श्री भानु प्रताप सिंह: नही। किसानो के हितमें इस फसल को डायवर्सीफाई करने दीजिए। वह गन्ने की बजाय कुछ दूसरा पैदा करे। यह देश के हित में भी है और उनके हित में भी है। दुनिया म कोई भी धनवान देश ऐसा नही है जो बिना क्षेत्रफल पर रस्ट्रिक्शन लगाये उस की पैदावार की कीमत देदे। अमेरिका जैसा देश भी जो सपोर्ट प्राइस पर खरीदता है, जब जरूरत होती है कंट्रोल लगाता है। इस प्रकार उत्पादन करते चले जाए और कीमत भी बनी रहे.. (व्यवधान)...

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor). This Government has no advance planning and the farmers are suffering because of that.

MR. CHAIRMAN: You are not entitled to say anything in this half-an-hour discussion.

SHRI S. NANJESHA GOWDA · It has happened earlier, let it not happen again.

MR. CHAIRMAN: This is half-an-hour discussion under Rule 55 Members who have not given an intimation

[Mr Chairman]

in writing and whose name has not come in the ballot are not entitled to say anything I would request them not to disturb (*Interruptions*)

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन् मैंने निवेदन किया था कि जनवरी, फरवरी, में जब गन्ना बोया गया था तब वह प्लानिंग का टाइम था। मैंने इस देश में बारम्बार कहा है कि गन्ने की खेती कम की जाए।

श्री उग्रसेन (देवरिया) . पेश्तर इस के कि मैं सवाल करूं और अपने सुझाव दूं मुझे एक शेर याद आता है

'बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के
जो चीरा तो एक कतरए खून निकला।'

मंत्री जी गन्ना किसान है। बहुत ज्यादा गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने के बारे में जो उन्होंने ब्यान दिया है वह बिल्कुल तथ्यों से परे है। मुझे वह इस बात का जवाब दें कि अब तक सौ करोड़ से ज्यादा कब किसानों का मिल मालिकों के पास बकाया बचा है जो उन्होंने किसानों को अदा नहीं किया है। यह सौ करोड़ रुपया गन्ने की कीमत किसानों को नहीं मिल पा रही है। यह आप अविलम्ब दिलाए।

मंत्री महोदय कहते हैं कि खण्डसारी से हमें मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि तब वह एक्साइज ड्यूटी क्यों लेते हैं? मैंने उनको पत्र लिखा था कि इस में आप छूट दें ताकि गन्ना वे ले सकें। मैं पीटता रह गया कि छूट दो, छूट दो—, नहीं दी गई। फिर हुआ क्या? जब उन को छूट नहीं मिली तो उन बेचारों ने कह दिया कि मजदूर अपने अपने घरों को चले जाय, खण्डसारी की फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। लेकिन फिर दो महीने के बाद इन्होंने उन को छूट दे दी। तब खण्डसारी के मालिकों ने अपने मजदूरों को पत्र लिखे, अपनी टैक्नीशियन्ज को पत्र लिखे कि आ जाओ हम खण्डसारी चलाना चाहते हैं, सरकार को अकल आ गई है। लेकिन इस बीच में मजदूर अपने घरों को चले गए थे वे दूसरे धंधों में लग गए। यह तमाशा हुआ। खण्डसारी की फैक्ट्रियां नहीं चल सकीं। जो गन्ना खण्डसारी में जाना चाहिये था नहीं गया।

मैं आप को दो तीन सुझाव ही देना चाहता हूं। शास्त्री जी ने कहा है, सभी कहते हैं कि अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में या ज्यादा से ज्यादा नवम्बर के पहले सप्ताह में सभी मिलों को चलाने का इन्तजाम आप कर दें और जो मिलें न चलें उनको आप चलाए। बड़े मियां सो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्ला। करोड़ीमल, मजीठिया, नरंग, थापर आदि जो हैं वे तो किसानों को उन के गन्ने का दाम नहीं देते हैं लेकिन वे भी नहीं देते हैं जैसे शूगर कारपोरेशन है, बी० पी० सिंह एंड कम्पनी लिमिटेड है। पंद्रह करोड़ की पूंजी लगी हुई है और पांच बरस में आठ करोड़ 33 लाख का नुक्सान हो चुका है बी० पी० सिंह एंड कम्पनी को। फिजरीज कारपोरेशन जो कलकत्ते में है उस को घाटा हुआ या नहीं हुआ। उस को तो आपने बन्द कर दिया है और 742 आदमी बेकार हो गए हैं और मारे-मारे फिर रहे हैं। यहां पर घाटा हो गया है, शूगर कारपोरेशन में, 19 करोड़ की पूंजी है आठ करोड़ 33 लाख का घाटा हो चुका है, इस को आप बन्द क्यों नहीं कर देते हैं। डिप्टी कलैक्टर आदि जो देखा करते थे वे लूट कर चले गए हैं, बेतान मिल का 25 लाख का घाटा 83 लाख बना दिया है लेकिन आपने कुछ नहीं किया।

मंत्री महोदय इस तरह से नहीं सुनेंगे। मैदान में सुनेंगे। गन्ना हम ने बो दिया है। मैं और मेरी बीबी गन्ने की खेती करते हैं। गन्ना हमने बो दिया है। ये गन्ना लेंगे नहीं और मिल मालिक दाम नहीं देंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि मिलों के चलने के पहले मिल मालिकों से, शूगर कारपोरेशन से, कोआप्रेटिव सैक्टर की मिलों से, रिसीवरशिप आदि तमाम जो पांच सौ तरह की दवाएं आपने रखी हैं, किसी का नाम राम तेल है किसी का विष्णु तेल रखा है,—है तो यह सब पहले यमुना का पानी, इस वास्ते आप हुक्म सभी को दे दें कि सौ करोड़ का ये क्लीयरेंस कर दें। गन्ने का दाम नहीं देती है तो इन को आप चलने न दें।

आप जांच करवा लें। सितम्बर में स्टोर के लिए पैसा उन को आप दे दें। रिजर्व बैंक से कहें, राज्यों के वित्त मंत्रियों से कहें कि वे क्लीयरेंस दे दें, उन की जो कर्ज की लिमिट है उस को बढ़ा दें। इस से उन को भी थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी और वे चलने लग जाएंगी।

चीनी को आप ने डकंट्रोल कर दिया है। आप देखें कि इसका भाव तीन रुपये से ज्यादा न हो। इस में छोटी मिलें बैठ जाएंगी। आज ए और बी और सी कई तरह की चीनी बनती है। इसके दामों में, 20, 25 और 30 रुपये का अन्तर रहता है। यह जो ए बी श्रेणियां हैं इनको आप बन्द करें। बड़ी मिलें जैसे मोलक गोकरण नाथ बजाज की मिल है, और बड़ी बड़ी मिलें हैं इन पर आप ज्यादा टैक्स लगा दें और जो पैसा आए उस पैसे का इस्तेमाल आप इन छोटी मिलों को छूट देने में करें बड़ी मिलों के मत्थे कुछ अधिक मद कर इन छोटी मिलों को आप सहायता प्रदान करें तो ये भी चल जाएंगी और बीस लाख टन गन्ना भी पिर जाएगा। इन को आप रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दे दें। उनका पैसा उनके ही मत्थे किसान पर कुछ इस से भार नहीं पड़ेगा।

आपने चीनी का डिकंट्रोल किया है तो आपको एक चीज देखनी चाहिये। 3 रु० प्रति किलो से ज्यादा चीनी न बिके। 15 रु० प्रति क्विंटल से कम गन्ने का दाम नहीं होना चाहिये। आपने जो 10 रु० स्टेट्यूटरी प्राइस किया है उस पर कोई भी गन्ना देने वाला नहीं है।

MR. CHAIRMAN It is 7.30 p.m. now. Is it the pleasure of the House to sit for some more time?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

श्री उग्रसेन : खडसारी की ऐक्साइज ड्यूटी छोड़ दीजिये । 10 लाख टन चीनी ऐक्सपोर्ट कीजिये । 40 रु० प्रति क्विटल ऐक्साइज ड्यूटी बढा दीजिये चीनी पर । 25 करोड़ रु० का फड भी बनाइये और 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कीजियें । दुनिया में कोई देश है जिसकी चीनी बिना सबसिडी के बाह भेजी जाती है ? इटरनेशनल शुगर मार्केट में आपको 7 लाख न का क्लीयरेंस मिला 1977-78 में लेकिन एक टन भी नही भेजी । आप ब्लैक लिस्टेड हो गये । तो 10 लाख टन भेज दीजिये । एक लाख टन गुड का बफर स्टाक एफ०सी०आई० बनाये । काम के बदले 4 किलो गेहू और एक किलो गुड दिया जाये । सीजन अक्टबर से शुरू कीजिये और 30 मई को समाप्त कीजिये । यदि आप हमारे इन सुझावो को मान लेगे और सदस्यो द्वारा दिये गये सुझावो को मान लेगे तो गन्ने का मामला हल हो जायगा । मुआवजा तो आपको देना ही पडेगा । अपनी माग हम लड़ कर लेंगे । और अगर आप नही मानेगे हमारी माग तो बस्ती में किसानो द्वारा आपका घेराव होगा । हम तो राइट आफ सिविल डिसओबीडेंस को मानने वाले है क्योंकि स्वर्गीय डा० लोहिया के चेले है । हम अहिंसात्मक सत्याग्रह कर सकते है और हम किसानो को कहेंगे कि मत्री जी का घेराव करो । तो क्या मत्री जी हमारे सुझावो को मानेगे ?

सभापति महोदय : अगर इस तरह एक एक सदस्य 8, 10 मिनट लेगे तो काम नही चलेगा जब कि यह आधे घटे का ही विवाद है । साधारणत: यह प्रथा है कि 10 मिनट पहले डायरेक्ट प्रश्न कीजिये और छोटे प्रश्न पूछिये ।

SHRI CHITTA BASU The hon. Minister is reported to have said in this House that there has been no burning of standing sugarcane. On the other hand I have got certain press cuttings which read as follows "Meerut to burn sugarcane stocks", that is in the Indian Express dated 19th May. "Rs. 50 lakhs worth of cane may have to be destroyed"; this is from the Times of India dated 16th June 1978. In view of this would the hon. Minister kindly say, under what circumstances he made that statement in the House, when this kind of press reports are there? The second question is whether the government has taken a decision for decontrolling sugar under the pressure of the sugar lobby. My third question is whether the government proposes to have legislation to force the farmers to curb cultivation of sugarcane area. My last question is in view of the fact that the sugar industry as a whole is passing through a crisis, would the government reconsider and revise the old decision in regard to nationalisation of the industry and take firm steps in the direction of nationalisation of the sugar industry of the country as a whole?

श्री कल्याण जैन (इन्दौर) : सभापति जी, जो ऐक्साइज ड्यूटी कम की थी वह इडियन शुगर मिल असोसिएशन के दबाव के कारण गत वर्ष से इस सरकार ने ऐक्साइज कम किया । इस साल जो डी-कट्रोल करने की घोषणा अभी की वह भी मेरी राय से इडियन शुगर मिल असोसिएशन के दबाव के कारण की । मैने दो पेज का नोट माननीय कृषि मत्री, माननीय कृषि राज्य मत्री और प्रधान मत्री को भेजा है और इसकी पूरी फीगर्स जानता हू । मै मत्री जी से पुन कहना चाहता हू कि वह मेरे उस दो पेज के नोट को देखे । सबसे पहले हित रखना है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, साथ ही खडसारी और फैक्टरी शुगर दोनो के बीच मे कपीटीशन रहे जिससे किसान का अहित न हो सके । इसके लिए सुझाव है, और मै उमीद करता हू कि मत्री महोदय उसका उत्तर देगे, कि जब तक फैक्टरी शुगर और खडमारी पर एक्साइज का अन्तर 100 रुपए क्विटल नही होगा, तब आप न किसान को अच्छा मूल्य दे सकेगे, न खडसारी जिन्दा रह सकेगी और न शुगर मिल जिन्दा रह सकेगे, क्योकि खण्डसारी में रिकवरी कम होती है शुगर फैक्टरी में ज्यादा होती है । मै मत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या वह खण्डसारी और फैक्टरी शुगर पर एक्साइज में कम-से-कम 100 रुपए अन्तर रखने का सोचेंगे या नही ? अगर नही सोचेंगे तो जो प्राइस इस साल गन्ने की है, वही अगले साल भी रहेगी । अगर वह ऐसा करते है तो उससे दो फायदे होगे, किसान को भी पैसा ज्यादा मिलेगा और सरकार को रैवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा और जनता को 3 रुपए किलो शक्कर मिल सकती है । मै इसके बारे मे चर्चा करने के लिए तैयार हू, मैने लिख कर भी भेजा है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मै पहले यह बताना चाहता हू कि बी०पी०सिंह एण्ड कपनी नाम की कोई कपनी नही है । वास्तव में भारत सरकार का भी कार्पोरेशन पर कोई अधिकार नही है, वह राज्य सरकारे चलाती हैं, उसको बनाने और बिगाडने का अधिकार उनका है ।

मै पहले और बातो का उत्तर दे दूं, फिर उसके बाद उग्रसैन जी की बातो का उत्तर दूगा । एक तो गन्ना जलाने के विषय मे यहा पर कहा गया । मै अभी भी कहता हू कि गन्ना जलाने की बात वह लोग करते हैं, जिन्होने गन्ने की खेती नही की । यह बात अखबार मे छप भी जाती है । वास्तविक स्थिति यह है कि जब किसान उसकी पेराई नही कर पाता, नही पहुंचा पाता तो वह उसको छोड़ देता है और अगले वर्ष अक्तूबर-नवम्बर में मिलें जब

[श्री भानु प्रताप सिंह]

चलेंगी तो वह उसे सप्लाई कर देगा, क्योंकि वह इतने समय में—मई से अक्तूबर के बीच में—इतना पैसा किसी और फसल से नहीं पा सकता, जितना उसको छोड़ देने से पा सकता है। आज भी मैंने गन्ना जला हुआ कहीं नहीं देखा, खड़ा हुआ देखा है। कोई गन्ना फूकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि अगले वर्ष जब चलेगा तो सबसे पहले यही गन्ना लिया जायेगा।

लैजिस्लेशन की बात कही गई कि क्या कानून से रोका जायेगा। नहीं, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी हम किसान को मशविरा दे रहे हैं और हमें आशा है कि वह उस पर अमल करेंगे और गन्ने का रकबा भी घटेगा।

राष्ट्रीयकरण की बात कही गई। अगर राष्ट्रीयकृत मिलों का कुछ परफारमेंस बेहतर होता तो इस नुस्खे को भी मैं मान लेता, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि अगर गन्ने की कीमत की अदायगी नहीं हुई है तो वहां भी वही हालत है, चाहे वह सहकारी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो। आज मिलों की हालत ऐसी नहीं है कि वह जल्दी से दे सकें। यह कहा जाता है कि 100 करोड़ के करीब बकाया क्या है? 100 करोड़ तो नहीं है, आखिरी आंकड़े हमारे पास 84 करोड़ के हैं, लेकिन यह भी ज्यादा हैं। यह इसलिए है कि 46 लाख टन चीनी अभी गोदामों में पड़ी हुई है। इस चीनी का मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। 1,000 करोड़ रुपया अगर फंसा हुआ हो तो उसके मुकाबले में 84 करोड़, मैं यह नहीं कहता कि पेमेंट नहीं होना चाहिए, मैं पूरा भरसक प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे आशा भी है कि 2, 3 हफ्ते के अन्दर इस 84 करोड़ में से बहुत बड़े अंश का भुगतान हो जायेगा, लेकिन आप उस समस्या की विशालता पर ध्यान दें, कि आज स्थिति क्या है। किस स्थिति का हमको मुकाबला करना पड़ा है। 1,000 करोड़ रुपये की चीनी आज गोदामों में पड़ी है, उसके मुकाबले में अगर 84 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। पुराने रिकार्ड को देखिए, कि कितना स्टाक रहता था और कितना रुपया बाकी रहता था। लेकिन फिर भी मैं इस सदन में और दूसरे सदन में आश्वासन दे चुका हूं कि इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, किसी प्रकार से बैंकों को राजी कर के यह जल्दी से जल्दी दिलाने की कोशिश की जायगी।

एक सुझाव आया है कि एक्साइज ड्यूटी में 100 रुपये का अन्तर किया जाये। अगर यह अन्तर करना हो तो कम-से-कम 100 रुपए एक्साइज ड्यूटी हो, इस हिसाब से एक की जीरो हुई और दूसरे की 100 रुपये होगी। चीनी बनाने का खर्चा 215 रुपय, 100 रुपय एक्साइज ड्यूटी 25 रुपय कम-से-कम (व्यवधान)

श्री कल्याण जैन: प्रोसेसिंग का खर्च कितना होगा?

श्री भानु प्रताप सिंह: ऐसी बात समझ-बूझ कर कहिये। 100 रुपये का अन्तर न कभी होगा और न संभव है। अगर खंडसारी के संरक्षण के लिए इस देश की चीनी की इकनामी को बिल्कुल बरबाद करना हो तो इस सुझाव को माना जा सकता है। सौ रुपये के अन्तर का मतलब होता है कि 325 रुपय, और 25 रुपये कम से कम डिस्ट्रिब्यूशन कास्ट होगा, 350 रुपये हो गया। आज उपभोक्ता 2.30 रुपये के भाव पर चीनी पाते हैं। अगर माननीय सदस्य का मश्वरा मान लें, तो 3.50 रुपये पर चीनी बिकने लगेगी। यह ठीक है कि इस तरह वह खंडसारी की रक्षा कर सकते हैं। संभव है कि किसानों को भी दो चार पैसे ज्यादा मिलें। लेकिन खंडसारी के साथ जो सहानुभूति दिखाई गई है, वह बिल्कुल गलत स्थान पर है। खंडसारी वालों ने किसानों का जितना शोषण किया है, उतना शोषण शायद कोई दूसरा वर्ग नहीं करेगा। ये किसानों के दोस्त नहीं हैं। कहा जाता है कि जब टैक्स छोड़ा गया तब उन्होंने चलाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कीमत मुकर्रर की थी, वे उसके बारे में हाई कोर्ट में जा कर रिट वगैरह ले आये और उन्होंने इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया कि दो, चार, पांच रुपये पर दो, वर्ना हम नहीं चलायेंगे। मैं समझता हूं कि उन लोगों के साथ सहानुभूति की बात मिसप्लेस्ड सिम्पथी है। उन लोगों ने इस वर्ष किसानों के साथ जो व्यवहार किया है, वह क्षम्य नहीं है।

एक माननीय सदस्य: बड़े मिल-मालिकों की तरह।

श्री भानु प्रताप सिंह: ये बड़े मिल मालिकों से ज्यादा हैं। उन पर तो नियंत्रण हो सकता है। उन की गिनती थोड़ी है। उन पर निगरानी रखी जा सकती है। लेकिन खांडसारी के यूनिट सारे देश में देहात में फैले हुए हैं और उन ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो मौका पा कर किसानों का पूरा शोषण करते हैं।

पूंजीपतियों के दबाव आदि की बात कही जाती है। यहां तक कहा जाता है कि डीकंट्रोल उन के कारण हुआ। यह भी कहा जाता है कि बफ़र स्टाक नहीं लिया जा रहा है। आज पूंजीपति चाहता है कि उस की चीनी बिक जाय, उसको रुपया मिल जाय। हर बात के बारे में उल्टे सीधे पूंजीपतियों के दबाव का हवाला देने से लाभ नहीं होगा। अगर सरकार बफर स्टाक खरीद ले, तो पूंजीपतियों को पैसा मिलेगा। अगर हम न खरीदें, तो कहते हैं कि पूंजीपतियों के कारण नहीं खरीदा गया। माननीय सदस्य को आशा है कि वे बड़े महंगे भाव पर बेच सकेंगे। आज उन में इतना काम्पीटीशन है कि मुझे यह खतरा नहीं है कि भाव बढ़ेगा, बल्कि खतरा यह है, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री राम धारी शास्त्री, ने कहा है, कि जो छोटी और पुरानी मिलें हैं, जिन का कास्ट आफ़ प्रोडक्शन ज्यादा

है, भाव वे काम्पीटीशन में खड़ी रह सकेंगी या नहीं । यह प्रश्न है यह प्रश्न नहीं है कि चीनी की कीमत बहुत ऊंची हो जायेगी।

श्री उग्रसेन की बातों का मैं क्या उत्तर दूं? मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर उनकी बात मान ली जाय, तो गन्ना पैदा करने वाले बर्बाद हो जायेंगे और इस देश का चीनी उद्योग समाप्त हो जायगा । उन का कहना है कि एक लाख टन गुड़ खरीद कर रखा जाय। कहा रखा जाये? हमने एक लाख टन तो नहीं, बारह तेरह हजार टन खरीदा था, और वह सब पानी हो कर बह रहा है। सब राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया कि क्या वे गेहूं के बदले गुड़ ले सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम नहीं ले सकते। इस लिए मश्वरा जरा सोच कर देना चाहिए । गुड़ रखने का कहां प्रबन्ध है? अगर हम एक लाख टन गुड़ रख लें, तो मैं सच कहता हूं कि . . . . .

श्री उग्रसेन : बफर स्टाक के गोडाउन बने हैं या नही? व बनाने पड़ेंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह : जितना हमारा कोटा है 6.5 लाख टन वह निर्यात किया जा रहा है। अब कहते हैं कि 10 लाख करिए, 20 लाख करिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर हमें नुकसान उठा कर ही चीनी निर्यात करनी है तो क्या यह बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम अपने देश वालों को ही सस्ती चीनी खिलाएं । जब हम हर क्विंटल पर पचास साठ रुपया नुकसान उठाने वाले हैं तो ऐसा सुझाव आप देते कि जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान को उठा कर देश के गरीबों को सस्ती चीनी दी जाये, तब तो बात समझ में आती.. (व्यवधान).. एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे तो उस का परिणाम यह होगा कि चीनी बहुत महंगी हो जायगी। आज सब से बड़ी समस्या यह है कि चीनी की खपत कैसे बढ़े ? जो चीनी पैदा हुई है और जो पैदा करने की हमारी क्षमता हो चुकी है उसकी खपत कैसे हो, मुख्य प्रश्न यह है । वह चीनी की खपत तब तक नही बढ़ सकती है जब तक कि चीनी का भाव सस्ता न हो। चीनी का भाव जब सस्ता होगा तो गरीब लोग भी ज्यादा चीनी खाएंगे।

श्री उग्रसेन : गन्ना 6 रुपये क्विंटल बिकवा दीजिए चीनी सस्ती हो जायगी ।

श्री भानु प्रताप सिंह : अब मेरी जरा कुछ आप लोगों की तरह आजादी नहीं है । मैंने कह दिया कि जो वक्तव्य दिया जाने वाला है वह कल दिया जायगा । उसके बाद आप उस पर टिप्पणी कीजिए । आज तो मैं वही पुरानी बात ही कह रहा हूं ।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

19.47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 10, 1978/Sravana 19, 1900 (Saka).

GMGIPND—JOB III—2212 LS—26-9-78—880.